Annexure-LVI

उत्तरांचल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोनः (0135)2666778 / 2666779 फैक्सः

पत्रांक 1885(i)1 / 56 / उ0सू0आ0 / मु0सू0आ0 / 2007 दिनांकः 20.4.07

सचिव,
गोपन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून,

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के संबंध में.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कतिपय सूचनाओं के प्रकटन से छूट के प्राविधान दिये गये हैं. अधिनियम की धारा 8(1)(झ) में मंत्रीमण्डल के कागजात जिसमें मंत्रीपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, प्रकटन के लिये छूट की श्रेणी में आते है. परन्तु मंत्री परिषद के विनिश्चय उनके कारणों तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, विनिश्चय किये जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराये जायेंगें।

राज्य सूचना आयोग ने अपने संकल्प सं0 8 दिनांक 13.4.07 के बिन्दु नं0 2 के अन्तर्गत निर्णय लिया है कि मंत्रीपरिषद के ऐसे विनिश्चय जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005. की धारा 8(1)(झ) के अन्तर्गत जैसा कि उक्त धारा में उल्लेखित किया गया है, जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने चाहिये.

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के परन्तुक के प्राविधान के क्रम में ऐसे विनिश्चयों को जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था स्वप्रकटन के अधीन अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मैनुअल में इसका भाग बनाकर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें.

संलग्न (संकल्प सं0 8.2 दिनांक 13.4.07)

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. प्रस्ताव पत्रावली में अभिलेखार्थ.

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव